न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 4/2004 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. मक्खन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी नबीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर

:--- अपीलांट

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार एवं कम मैनेजिंगा ऑफिसर तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर कम सैटिलमैट कमिश्नर, अलवर दिनांक 14.10.2003

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 15.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय जिला कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर द्वारा अपील संख्या 37/2003 उनवान मक्खन सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2003 के खिलाफ है, जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील खारिज की गई है ।

15/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र भूमिक खसरा नम्बर 240 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा की बाबत एक प्रार्थना पत्र कीमतन अलोट हेतु तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा को दिया । तहसीलदार तिजारा ने उक्त प्रार्थना पत्र अपनी सिफारिश के साथ जिला कलेक्टर (पुनर्वास), अलवर को भिजवाया । जिला कलेक्टर अलवर ने दिनांक 26.2.96 को भूमि को गैर मुमकिन नला मानकर आवंटन से इन्कार कर दिया । इससे व्यथित होकर अपीलांट ने अदालत हाजा में अपील संख्या 38/96 प्रस्तुत की थी । जिसका निर्णय दिनांक 26.11.96 किया जाकर अपील स्वीकार की गई और तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा को निर्देश दिये गये थे कि आराजी की कीमत वसूल कर मक्खन के पक्ष में आवंटन कर सनद जारी की जावे । अदालत हाजा के इस निर्णय के खिलाफ सरकार की ओर से न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर में डिस्प्लेस्ड परसंस (कम्पनसेसन एण्ड रिहेबिलीटेंशन) एक्ट, 1954 की धारा 33 के अन्तर्गत पिटीशन संख्या 16/97 प्रस्तुत की गई थी । सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर ने उक्त पिटीशन 17.8.99 को स्वीकार कर प्रकरण कलेक्टर, अलवर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया कि डी0 पी0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय करें । जिला कलेक्टर, अलवर को प्रकरण रिमांड होने के बाद जिला कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर ने उभयपक्ष को सुनकर अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 14.10.2003 को खारिज की है । इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलांट बार बार पे शी पर नहीं आ सकता था । इसलिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने वकील को दे रखी थी । वकील चुनाव कार्य में व्यस्त रहे और अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं दी । इस कारण यह अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई । देरी को माफ कराने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे और अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे ।

13/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4 उन्होंने आगे तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौके की कोई रिपोर्ट ली गई और ना ही तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर की पत्रावली मंगाई गई । मौके की रूह एवं पत्रावलियों से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा पर अपीलांट का कब्जा काफी सालों से चला आ रहा है । अपीलांट ने उक्त आराजी को जिस्मानी मेहनत करके एवं काफी पैसा लगाकर काबिल काश्त बनाया है । यह आराजी मौके पर गैर मुमकिन नला नहीं है , काबिल काश्त है, जिस पर अपीलांट काफी सालों से काश्त करता चला आ रहा है । अपीलांट लोकल टिनेंट है । इसलिये राजस्थान एग्रीकल्चर इवेक्यू परमानेंट अलोटमैंट रूल्स, 1963 की धारा 5 व 6 के तहत अपीलांट इस आराजी की कीमत जमा कराकर सनद पटटा प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

5 राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नला है । गैर मुमकिन भूमियों का कानूनन ना तो आवंटन हो सकता है और ना ही इनका नियमन हो सकता है । अपील सारहीन है । अतः खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट अपने लम्बे कब्जे के आधार पर विवादित आराजी को आवंटन कराना चाहता है । अपील के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमने तहत न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 9.8.94 में अंकित किया गया है कि प्रार्थी मक्खन ग्राम नबीनगर की आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा गैर मुमकिन नला को आवंटन कराना चाहता है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2050 में विवादित भूमि को सिवायचक गैर मुमकिन नला दर्ज किया हुआ है । इसी प्रकार का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2050 में भी है ।

15/11/11

प्र-पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह भलीभांति सिद्ध है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है । तथा यह भूमि सिवायचक गैर मुमकिन नला के रूप में दर्ज रेकार्ड है । ऐसी भूमियों का ना तो आवंटन किया जा सकता है और ना ही नियमन किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में विद्वान जिला कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर द्वारा अपने निर्णय में जो विस्तृत विवेचना की गई है, वह विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप में आवश्यकता नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर जिला कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2003 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/10/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner